(2020/00096)

18/8/2021 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उप०। विपक्षी संख्या 1, 2 की ओर से पूर्व में अधिवक्ता के. एल. स्वर्णकार ने वकालतनामा प्रस्तुत किया जो रेकार्ड पर लिया जाता है। आज उपस्थित। विपक्षी सं. 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। अधिवक्ता विपक्षीगण जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस बाबत निवेदन किया, जिस पर बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गयी।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन कर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। ग्राम नारेला प० ह० नारेला तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित आराजी संख्या 2404 मी. रकबा 0.35 हे. तथा आराजी संख्या 2404/2743 रकबा 0.35 हे० प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

2020/00096 धारा 128 LR Act स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम नारेला प. ह. नारेला तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित आराजी संख्या 2404 मी. रकबा 0.35 हे. एवं आराजी संख्या 2404/2743 रकबा 0.35 हे. भूमि की बिना किसी के कब्जे में दखलन्दाजी किए सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढ़ी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगढ़ी शुल्क 1000.00 रुपए अक्षरे एक हजार रुपए प्रार्थीगण वहन करेंगे। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि पक्षकारान को लिखित सूचना दी जाकर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय [illegible]। निर्णय लिखाया जाकर सुनाया [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.09.08 18:07:12 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)